

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 6, 2014/फाल्गुन 15, 1935

No. 112] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 6, 2014/PHALGUNA 15, 1935

पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 160(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप—धारा (6) के साथ पठित उप—धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार नीचे दी गई तालिका की क्रम संख्या 1—12 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा कांडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में 1.4.2014 से 31.3.2016 तक दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है :—

तालिका

1.	प्रधान अधिकारी, मर्केनटाईल समुद्री विभाग, कांडला	मर्केनटाईल समुद्री विभाग के प्रतिनिधि
2.	आयुक्त सीमाशुल्क, कांडला	सीमाशुल्क विभाग के प्रतिनिधि
3.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उपाध्यक्ष, गुजरात समुद्री मंडल	राज्य सरकार के प्रतिनिधि
4.	श्री साम्बित त्रिपाठी, निदेशक	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि
5.	नौसेना प्रभारी अधिकारी, गुजरात	रक्षा सेवाओं के प्रतिनिधि
6.	मुख्य फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन प्रबंधक, / पश्चिमी रेलवे	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि
7.	स्टाफ प्रमुख, क्षेत्रीय मुख्यालय(एनडब्ल्यू), गांधीनगर	भारतीय तटरक्षक के प्रतिनिधि
8.	श्री मयूर के. जूडासामा,	एमपीटी अधिनियम, 1963 के 3 (1)(ग)(i)(7) के
	प्लाट न. ३४६ सैक्टर—1, गांधीनगर, गुजरात—382007	अंतर्गत् परिकल्पित अन्य हित
9.	महावीर सिंह के. गोहिल,	एमपीटी अधिनियम, 1963 के 3 (1)(ग)(i)(7) के
	प्लाट नं. 597, विजयराज नगर, दूध डेयरी रोड, भाव नगर,	अंतर्गत् परिकल्पित अन्य हित
	गुजरात—364003	,
10.	श्री जीतू भाई भट्ट	एमपीटी अधिनियम, 1963 के 3 (1)(ग)(i)(7) के
		अंतर्गत् परिकल्पित अन्य हित
11.	श्री ठाकोर भाई पटेल	एमपीटी अधिनियम, 1963 के 3 (1)(ग)(i)(7) के
		अंतर्गत् परिकल्पित अन्य हित
12.	युनुस पटेल	एमपीटी अधिनियम, 1963 के 3 (1)(ग)(i)(7) के
		अंतर्गत् परिकल्पित अन्य हित
	·	•

[फा.सं. एलबी—11013 / 8 / 2013—एल] एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

1026 GI/2014 (1)

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 160(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1-12 in the table below, to be trustees on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust for a period of 2 years from 01.04.2014 to 31.03.2016:—

TABLE

1.	Principal Officer, Mercantile Marine Department,	Representing Mercantile Marine Department
	Kandla	
2.	Commissioner of Customs, Kandla	Representing Department of Customs
3.	Chief Executive Officer & Vice-Chairman,	Representing State Government
	Gujarat Maritime Board	
4.	Shri Sambit Tripathy, Director	Representing Ministry of Shipping
5.	Naval Officer-in-Charge, Gujarat	Representing Defence Services
6.	Chief Freight Transportation Manager/WR	Representing Indian Railways
7.	Chief of Staff, Regional Headquarters (NW),	Representing Coast Guard
	Gandhinagar	
8.	Shri Mayur K. Chudasama	Representing Other Interest as envisaged under section
	Plot No. 346, Sector-1, Gandhinagar	3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.
	Gujarat -382 007	
9.	Shri Mahavirsinh K. Gohil,	Representing Other Interest as envisaged under section
	Plot No. 597, Vijayraj Nagar,	3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.
	Dudh Dairy Road, Bhavnagar, Gujarat – 364003	
10.	Shri Jitubhai Bhatt	Representing Other Interest as envisaged under section
		3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.
11.	Shri Thakorbhai Patel	Representing Other Interest as envisaged under section
		3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.
12.	Shri Yunus Patel	Representing Other Interest as envisaged under section
		3(1)(c)(i)(7) of MPT Act,1963.

[F. No. LB-11013/8/2013-L]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.